

परियोजना का नामः— प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत महिडाण्डा
मोटर मार्ग से बगियाल गांव मोटर मार्ग का निर्माण (लम्बाई 4.325 किमी)।
हेतु सिविल सोयम भूमि एवं वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।
(कुल वन भूमि — 0.731 है)

वन भूमि के मूल्य का प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रयोजन हेतु 0.731 है वन भूमि का वर्तमान बाजार दर
से मूल्य रूपये ~~50,000/-~~ प्रति है तथा वन भूमि का कुल मूल्य रु0...~~36550/-~~
होता है तथा वार्षिक लीज रेट प्रतिशत की दर से रु0 होता है।

क्षेत्रीय पटवारी

तहसीलदार भुटवाडी

उप जिलाधिकारी, भुटवाडी

प्रतिहस्ताकार
जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा 27, 47 (क), 75 एवं 340 (क) के अधीन कर पर ग्रामीण वित्त विभाग को अधीन विज्ञापित सम्बन्धित विधानसभा के दिनांक 04 के अपर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन देहरादून के पत्र संख्या: 289/2014/xxvii(09)/स्टाम्प-80/2009 दिनांक 28 अक्टूबर 2014 एवं गविंशंकर, कलेक्टर उत्तरकाशी जिले के नगरीय, अर्धनगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सिंचित/असिंचित/अकृतिक भूमि के वक्षों के क्रय-विक्रय की दरे संलग्न सूची के अनुसार निर्धारित करता हूँ जो दिनांक 01.11.2014 से अग्रेतर सो वर्षों के लिये दिनांक 01.11.

नोट:-

- जनपद की सिक्किल सोयम की बंजर भूमि/कवन भूमि की दरे रूपये- 1200.00 .प्रति वाली निर्धारित की जाती है ये दरे केवल एक विभाग से दूसरे विभाग को भूमि हस्तांतरण के मामलों में लागू होगी ।
- मोटर मार्ग से तात्पर्य उन सड़कों से है, जहाँ पर बस सेवा नियमित रूप से चालू है तथा पूर्ण रूप से निर्भित हो चुकी है ।
- शासनदेश संख्या: 230/सत्ताइस(9)/2007 दिनांक 18 सितम्बर 2007 में दिये गये निर्देशों के अनुसार में समस्त तहसीलों के मुख्य मार्गों पर पड़ने वाले खसरा नम्बरों की सूची संलग्न कर प्रेषित की जा रही है । यदि भविष्य में खसरा नम्बरों के सम्बन्ध में कोई बदल आई हो तो उसके लिये सम्बन्धित तहसीलदार एवं उप जिलाधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे ।

4. जनपद में औद्योगिक आस्थानों एवं गोमोत्री विशेष क्षेत्र प्राधिकरण के अन्तर्गत पृथक विभागीय दरे विभाग नहीं । अन्यथा विभागीय
 विभाग एवं उच्चोग विभाग से पृथक से दरे प्राप्त होने पर सम्मिलित की जायेगी ।
 .. उत्तर प्रदेश वित्त निगम, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरण, औद्योगित विकास प्राधिकरण, निला उपग
 कोड़ी, राज्य औद्योगित विकास निगम, सिड्कुल तथा अन्य राजकीय संस्थानों/नियमों द्वारा अन्तरित परिस्थितियों हेतु उक्त संस्थानों

मुलाकाह:- यथोक्त दृश्य

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग-09 देहरादून ।
2. आयुक्त, कर, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
3. पहानिरीक्षक निबन्धक, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/निला स्तरीय अधिकारी, जनपद उत्तरकाशी ।
5. समस्त उप जिलाधिकारी/तहसीलदार, जनपद उत्तरकाशी ।
6. धू-अध्यापित अधिकारी, उत्तरकाशी ।
7. उप निबन्धक, उत्तरकाशी/बड़कोट/पुरोला ।

✓
 (सौ. रविशंकर)
 कलेक्टर,
 उत्तरकाशी ।

✓
 (सौ. रविशंकर)
 कलेक्टर,
 उत्तरकाशी ।